

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH  
ANUSANDHAN BHAVAN, RAJI MARG, NEW DELHI-01

No. 6-1(145)/2016-E.III

Dated: 15.11.2019

OFFICE MEMORANDUM

**Sub.: Delegation of routine Administrative and Financial Powers to Heads/In-Charge of Units and Divisions of CSIR HQ.**

The following Heads/In-Charge of various Units of CSIR HQ. as appointed by DG, CSIR have been notified vide OMs indicated below:

1. Dr. VJ Sattigeri, Outstanding Scientist & Head, TKDL } (vide CSIR OM dt.
2. Dr. Rama Swami Bansal, Chief Scientist & Head, ISTAD } 01.11.2018)
3. Sh. K. Venkatasubramanian, Chief Scientist & In-Charge, RPPBDD } (vide CSIR
4. Sh. RP Singh, Chief Scientist & In-Charge, Mission Directorate } OM dated)
5. Dr. Geetha Vani Rayasam, Sr. Pr. Scientist & In-Charge, USD } 25.06.2019
6. Dr. RK Sinha, Sr. Pr. Scientist & Head, HRDC, Gzbd. } (vide CSIR OM
7. Dr. Vibha Malhotra Sawhney, Sr. Pr. Scientist & In-Charge, IPU } dt.05.11.2019)

Now, with a view to optimize the functional efficiency of the various Units and Divisions of CSIR HQ. and to streamline and expedite the disposal of routine matters, DG, CSIR has taken a considered view of the matter and has approved the delegation of certain routine administrative & financial powers to the Heads/In-Charge as per the following :-

I. All Heads and In-Charge of Units/Divisions of CSIR HQ. will exercise the following powers as notified vide CSIR OM No. 1(2)/2001-E.III dated 08.06.2004 in r/o the staff under their administrative control:-

- i. Overtime Allowance
- ii. Sitting Fee and Honorarium
- iii. Conveyance Hire for local Journeys
- iv. Earned Leave
- v. Half Pay leave
- vi. Commuted leave
- vii. Leave not due
- viii. Extraordinary Leave
- ix. Maternity Leave
- x. Paternity Leave
- xi. Leave Salary
- xii. Leave salary advance
- xiii. Drawal of advances in connection with official meetings to incur exp. on payment of Honorarium, travelling expenses, sitting fee, lunch entertainment, misc. exp.
- xiv. TA on tour
- xv. Journey by air to non-entitled officials
- xvi. TA for local Journeys
- xvii. Advance of TA on tour
- xviii. Refreshment upto limit of Rs. 6000/- per annum.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  
अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001

सं.6-1(145)2016-ई III

दिल्ली: 15.11.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर मुख्यालय के प्रभागों व यूनिटों के प्रमुखों/प्रभारियों को नेमी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

महानिदेशक सीएसआईआर द्वारा यथा नियुक्त सीएसआईआर मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों व यूनिटों के निम्नवत् प्रमुखों/प्रभारियों को नीचे इंगित कार्यालय ज्ञापनों के माध्यम से अधिसूचित किया गया है :-

- |  |  |
|--|--|
| 1. डॉ.वी.जे. सेत्तीगिरी, उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं प्रमुख, टकेडीएल              | } सीएसआईआर के दिनांक 01.11.2018 के का.ज्ञा. के माध्यम से |
| 2. डॉ. रमा स्वामी बंसल, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, इस्टैड                   |  |
| 3. श्री के. वेंकट सुब्रमणियन, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रभारी, आरपीपीबीडीडी      | } सीएसआईआर के दिनांक 25.06.2019 के का.ज्ञा. के माध्यम से |
| 4. श्री आर.पी.सिंह, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रभारी, मिशन निदेशालय               |  |
| 5. डॉ गीता वाणी रयासम, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी, यूएसडी           | } सीएसआईआर के दिनांक 5.11.19 के का. ज्ञा. के माध्यम से   |
| 6. डॉ. आर.के.सिन्हा, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, एचआरडीसी, गाजियाबाद |  |
| 7. डॉ.विभा मल्होत्रा साहनी, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी, आईपीयू      |  |

अब, सीएसआईआर मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों व यूनिटों की कार्यात्मक दक्षता को इष्टतम बनाने और नेमी मामलों के निपटान को सरल एवं कारगर बनाने तथा उनपर शीघ्र कार्रवाई करने के मद्देनजर महानिदेशक, सीएसआईआर ने इस मामले पर विचार किया है और प्रमुखों/प्रभारियों को कुछ नेमी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का निम्नवत् रूप से प्रत्यायोजन करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है :-

- I. सीएसआईआर मुख्यालय के सभी प्रभागों/यूनिटों के प्रमुख एवं प्रभारी उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्टाफ के संबंध में निम्नवत् शक्तियों का उपयोग करेंगे, जिसे सीएसआईआर के दिनांक 08.06.2004 के का.ज्ञा.सं. 1(2)/2001-ई. III के माध्यम से अधिसूचित किया गया है:-
  - i. समयोपरि भत्ता
  - ii. सिटिंग शुल्क एवं मानदेय
  - iii. स्थानीय (लोकल) यात्राओं के लिए वाहन भाड़ा
  - iv. अर्जित छुट्टी
  - v. अर्ध वेतन छुट्टी
  - vi. संराशीकृत छुट्टी
  - vii. अदेय छुट्टी
  - viii. असाधारण छुट्टी
  - ix. मातृत्व छुट्टी
  - x. पितृत्व छुट्टी
  - xi. छुट्टी वेतन
  - xii. छुट्टी वेतन अग्रिम
  - xiii. मानदेय, यात्रा खर्च, सिटिंग शुल्क, लंच एंटरटेनमेंट, विविध खर्चों के भुगतान हेतु सरकारी बैठकों के संबंध में अग्रिमों का आहरण


II. Head, TKDL, will exercise the powers relating to outsource/engage staff of TKDL, as authorized vide CSIR OM No. 6-8(2377)/08E.III dated 12-3-2013.

III (A) In terms of GoI decision No. 3 under SR 191, the following Heads/In-Charge can approve their tour proposals and TA/DA for self:-

- Dr. V.J Sattigeri, Outstanding Scientist & Head, TKDL
- Dr. K. Venkatasubramanian, Chief Scientist and In-charge, RPPBDD
- Dr. Rama Swami Bansal, Chief Scientist and Head, ISTAD
- Sh. R.P Singh, Chief Scientist and In-charge Mission Directorate.

(B) Dr. Geetha Vani Rayasam, Sr. Pr. Scientist & In-charge, USD and Dr. R.K Sinha, Sr. Principal Scientist will submit their tour proposals to DG, CSIR and Dr. Vibha Malhotra Sawhney, Sr. Principal Scientist & In-charge, IPU, will submit her tour proposals to Dr. Ram A Vishwakarma, Head, IPD.

The above delegation of power has been concurred by FA, CSIR & is subject to following of GoI instructions in this regard.



(B. K Singh)

Deputy Secretary (CO)

Copy to:

1. All the above Heads/In-Charge.
2. Dr. Ram A Vishwakarma, Director, IIIM, Jammu and Head IP Directorate.
3. US, O/o DG, CSIR
4. US, O/o JS (A)
5. PS to FA, CSIR
6. PS to CVO, CSIR
7. PS to Sr. D.S (HR)
8. O/o LA, CSIR
9. PS to DS (CO)
10. FAO (Cash/Audit Section)
11. IT Division – with request to make this OM available on the CSIR website
12. Office copy

- xiv. दौरे पर यात्रा भत्ता  
xv. अपात्र अधिकारियों द्वारा हवाई यात्रा  
xvi. स्थानीय यात्राओं हेतु यात्रा भत्ता  
xvii. दौरे पर यात्रा भत्ता अग्रिम  
xviii. प्रतिवर्ष रु. 6000/- तक की रिफ्रेशमेंट

- II प्रमुख, टीकेडीएल, जैसा कि सीएसआईआर के दिनांक 12.3.2013 के का.ज्ञा.सं. 6-8(2377)/08 ई.॥ के माध्यम से प्राधिकृत किया गया था, टीकेडीएल के आउटसोर्स/एंगेज स्टॉफ से संबंधित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।  
III (क) सेवा नियम (एसआर) 191 के तहत भारत सरकार के निर्णय सं. 3 के अनुसार निम्नवत प्रमुख/प्रभारी अपने यात्रा प्रस्तावों और टीए/डीए को स्वयं अनुमोदित कर सकते हैं:-

- डॉ.वी.जे. सेट्टीगिरी, उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं प्रमुख, टीकेडीएल
- डॉ. के. वेंकरसुब्रमणियन, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रभारी, आरपीपीबीडीडी
- डॉ. रमा स्वामी बंसल, मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रमुख, इस्टैड
- श्री.आर.पी.सिंह. मुख्य वैज्ञानिक एवं प्रभारी मिशन निदेशालय

(ख) डॉ. गीता वाणी रसायन, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी, यूएसडी तथा डॉ.आर.के सिन्हा, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक अपने यात्रा प्रस्ताव महानिदेशक, सीएसआईआर को प्रस्तुत करेंगे और डॉ. विभा मल्होत्रा साहनी, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रभारी, आईपीयू अपने यात्रा प्रस्ताव डॉ. राम के. विश्वकर्मा, प्रमुख, आईपीडी को प्रस्तुत करेंगी।

शक्तियों के इस प्रत्यायोजन को वित्त सलाहकार, सीएसआईआर द्वारा सहमति प्रदान की गई और ये इस संबंध में भारत सरकार के अनुदेशों के अनुपालन के तहत हैं।

(बी.के.सिंह)

उप सचिव (के.का.)

प्रति:

1. उक्त प्रमुख/प्रभारी
2. डॉ.राम ए. विश्वकर्मा, निदेशक, आईआईआईएम, जम्मू और प्रमुख आईपी निदेशालय
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के कार्यालय में अवर सचिव
4. संयुक्त सचिव (प्रशा.) का कार्यालय
5. वित्त सलाहकार के निजी सचिव
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), सीएसआईआर के निजी सहायक
7. वरिष्ठ उपसचिव (मानव संसाधन) की निजी सचिव
8. विधि सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय
9. उपसचिव (के.का.) की निजी सचिव
10. वित्त एवं लेखाधिकारी (रोकड़/लेखा परीक्षा अनुभाग)
11. सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग -इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं
12. कार्यालय प्रति